भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई में उप सहायक निदेशक (गैर चिकित्सा) के पद के लिए मसौदा भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए बी. 14017/61/2008- स्थापना (आर आर) के अनुपालन में बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई में उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद के भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है ।

हितधारक, जो भर्ती नियम के मसौदे पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देना चाहते हैं, वे स्वरूपा सरण, उप निदेशक (ईपीआई), कमरा सं. 647, 'क' विंग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को भर्ती नियम के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव लिखित रूप मे देते हुए उसकी एक सॉफ्ट प्रति epidghs@gmail.com को भेज सकते हैं।

(स्वरूपा सरण)
उप निदेशक

नई दिल्ली

दिनांक

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2019

सा.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा)	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख यूपीएससी के द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी/बायो केमेस्ट्री/ बायो टैक्नोलौजी में एम.एससी डिग्री। (ii) मानव वैक्सीन/ जैविक उत्पादों के उत्पादन और परीक्षण में तीन वर्ष का अनुभव और उत्तम विनिर्माण अभ्यास(जीएमपी) और उत्तम प्रयोगशाला अभ्यास(जीएलपी) का ज्ञान। **वांछनीय**: बायो केमेस्ट्री/माइक्रोबायोलॉजी / बायो टैक्नोलौजी में पीएच.डी। **टिप्पण**-1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती **टिप्पणी**: ''पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिसथितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने स्तर 8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

आयोग के विवेकानुसार कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण**–2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:– (i) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) उप महानिदेशक (पीएच), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य (iii) निदेशक (ईपीआई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (iv) निदेशक, बीसीजीवीआई, चेन्नई - सदस्य (i)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(सं.ए.12018/08/2018-ईपीआई)

(वंदना चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार